

To be published in Part-I Section I of the Gazette of India Extraordinary

**Government of India
Department of Commerce
Ministry of Commerce & Industry
(Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties)
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street, New Delhi -110001**

Dated the 13th October, 2015

INITIATION NOTIFICATION

Subject: Initiation of Anti Dumping investigation concerning imports of “Glazed/Unglazed Porcelain/Vitrified tiles in polished or unpolished finish with less than 3% water absorption”, originating in or exported from China PR.

No.14/14/2014-DGAD: Gujarat Granito Manufacturers Association and Sabarkantha District Ceramic Association (hereinafter also referred to as the applicants) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti dumping duty concerning imports of vitrified/porcelain tiles (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the subject country).

2. And whereas, the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country, ‘injury’ to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and ‘injury’ exist to justify initiation of an anti-dumping investigation; the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the ‘injury’ to the domestic industry.

Domestic Industry & Standing

3. The Application has been filed by Gujarat Granito Manufacturers Association and Sabarkantha District Ceramic Association, on behalf of domestic producers of the product under consideration. Information relevant to the present investigation has been

provided on behalf of 24 participating producers, namely Ricasil Ceramic Industries Private Limited, Comet Granito Pvt. Ltd., Cengres Tiles Ltd, Sunshine Ceramics Co., Ltd, Sims Ceramic Pvt. Ltd., Wintel Ceramic Pvt. Ltd., Simpolo Vitrfied Pvt. Ltd., Zeal Top Granito Pvt. Ltd., Tocco Ceramic Pvt. Ltd., City Tiles, Sanford Vitrified Pvt Ltd, Red Stone Granito Ltd., Lexus Granito Pvt. Ltd., Silk Touch Vitrified Pvt Ltd, Qutone Granito Pvt Ltd, Simolex Vitrified Pvt Ltd, Olwin Tiles Pvt. Ltd., Coral Granito Pvt. Ltd, Duracon Vitrified Pvt. Ltd., Varmora Granito Pvt. Ltd., Metro City Tiles Pvt Ltd, Affil Vitrified Pvt Ltd, Sentosa Granito Pvt. Ltd. and Casa Tiles Pvt. Ltd.

The application has been supported by 13 other domestic producers of subject goods, namely, Clayris Ceramic Pvt Ltd, Ramoji Granite Limited, Icon Granito Pvt. Ltd., Lorenzo vetrified pvt. Ltd., New Pearl Vitrified Pvt. Ltd., Alliance Vitrified Pvt. Ltd., Famous Vitrified Pvt. Ltd., Blueart Granito Pvt. Ltd., Sun World Vitrified Pvt. Ltd., Senso, Siyaram Vitrified Pvt. Ltd., Savio Ceramica Pvt Ltd and Shubh Tiles Pvt. Ltd.

4. As per the evidence available on record, certain domestic producers namely Kajaria Ceramics Ltd, H & R Johnson (India), Somany Ceramics Ltd, Asian Granita India Limited, Silica Ceramica Private Ltd, Commander Vitrified Pvt Ltd, Vintage Tiles Pvt Ltd, Cosa Ceramic Pvt. Ltd, Acer Granito Pvt. Ltd., Jaxx Vitrified Pvt. Ltd, Antique Marbonite Pvt. Ltd., Oracle, RAK Ceramics Ltd, New Vardhman Vitrified Pvt Ltd., have been considered as ineligible domestic producers on account of significant imports made by them or their relationship with importers/exporters of subject goods. The production of the applicant industries along with the production of the eligible supporting industries constitutes “a major proportion” of the domestic production. The Authority, therefore, determines that the applicants constitute eligible domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Anti Dumping Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

Product under consideration

5. The product under consideration for the purpose of present investigation is imports of “Glazed/Unglazed Porcelain/Vitrified tiles in polished or unpolished finish with less than 3% water absorption”, originating in or exported from China PR. Vitrified/Porcelain tiles can be glazed or unglazed and are used primarily for coverings for floors as well as on walls. These tiles are used in buildings, homes, restaurants, cinema halls, airports, swimming pools, railway stations etc. Vitrified/Porcelain tiles are a kind of ceramic tiles, but are made with slightly different elements. These tiles are made after vitrification process. Product under consideration is mainly produced and sold in two sizes (i) 600 mmX600 mm (ii) 800 mmX800 mm. Imports are also mainly taking place in these two sizes.

6. Subject goods are classified under Chapter 69. The scope of the product under consideration in this case under CTA falls under 69.07, 69.08 or 69.14. Glazed

porcelain tiles being imported under Chapter Heading 69.14 are substitutable with the unglazed tiles of Chapter Heading 69.07 in terms of properties, use, functions, distribution, channels etc. The customs classification is indicative only and in no way it is binding upon the product scope.

Like Article

7. The applicants have claimed that there is no known difference between the subject goods exported from subject country and that produced by the domestic industry. As submitted by the applicants, the product under consideration produced by the domestic industry and imported from subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The applicants have further claimed that two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the applicants in India as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

Country involved

8. The present investigation is in respect of alleged dumping of the product under consideration from China PR (referred to as the "subject country").

Normal Value

9. Applicants have claimed that China PR should be treated as a nonmarket economy and determined normal value in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Rules. The applicants have claimed normal value for China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted. In terms of Para 8 in Annexure 1 to the Rules, it is presumed that the producers of the subject goods in China PR are operating under non market economy conditions. In view of the above non-market economy presumption and subject to rebuttal of the same by the responding exporters from china PR, normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules.

Export Price

10. The applicants have submitted that the prices reported in the DGCI&S data do not reflect the actual import price of the product under consideration. There exists significant difference between prices reported by DGCI&S and the prices at which actual imports are made. The applicants have stated that the Customs authorities have fixed minimum import price for the subject goods and therefore the import price reported

in DGCI&S data being assessable value of imports representing the price at which customs authorities have assessed the imports. They have therefore claimed that the price at which the goods are imported and the price at which the goods have been assessed for clearance are two different figures in the present case. Therefore, applicants have considered import price on the basis of imports made by certain major domestic producers, who are also major importers of the subject goods, for the purpose of determining export price. The Authority has accepted the argument of the applicants prima facie for the purpose of initiation of this investigation, subject to further investigation in due course. Price adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance, port expenses, inland freight, bank charges and VAT adjustment to arrive at the net export price.

Dumping Margin

11. The normal value has been compared with the export price at ex-factory level. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject country are higher than the ex-factory export price, indicating, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country. The dumping margins are estimated to be above de minimis.

Injury and Causal Link

12. Information furnished by the applicants has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicants have furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports, price undercutting, price underselling and consequent significant adverse impact in terms of decline in production, sales, capacity utilisation profits, return on capital employed, and cash flow during the POI, to the domestic industry. There is sufficient prima facie evidence of the 'injury' being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject country to justify initiation of an antidumping investigation.

13. The applicants have claimed that imports from the subject country have increased during Oct.14-March'15 period with imposition of anti dumping duty by Brazil and decline in imports in Brazil. Applicants have submitted imposition of anti dumping duty on subject country by Brazil, significant increase in imports in short period of time, decline in import price, significant surplus capacity with the producers in subject country and weak demand prevailing in subject country as grounds for claiming threat of material injury to the domestic industry from subject imports.

Period of Investigation (POI)

14. The period of investigation for the present investigation is from 1st April, 2014 to 31st March 2015 (12 months). The injury investigation period will however cover the periods Apr'11-Mar'12, Apr'12-Mar'13, Apr'13-Mar'14 and the period of investigation.

Retrospective imposition of duties

15. The applicants have requested for retrospective imposition of duty as the injury is claimed to be caused to the domestic industry by a history of massive dumping of subject product. They have further submitted that considering the huge volume of such imports and threat of material injury to the domestic industry, unless duty is recommended retrospectively, the desired remedial measures of anti-dumping duties may not be accomplished. The interested parties may make their submissions in this regard.

Submission of information

16. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street,
New Delhi -110001.

17. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

Time limit

18. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

19. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Antidumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of Information on Non-Confidential basis

20. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

21. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non confidential version must be submitted by all the interested parties.

22. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

23. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

24. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

25. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for

confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

26. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

27. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

(A.K. Bhalla)
Designated Authority

भारत के राजपत्र असाधारण भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 13 अक्टूबर, 2015

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

विषय : चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “3 प्रतिशत से कम जल खपाने की क्षमता युक्त पॉलिस्ड अथवा अनपॉलिस्ड तैयार ग्लेज्ड/अनग्लेज्ड पोर्सलीन/विट्रिफाइड टाइल्स” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

फा. संख्या 14/14/2014-डीजीएडी: गुजरात ग्रेनिटो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन तथा साबरकंठा डिस्ट्रिक्ट सेरेमिक एसोसिएशन (जिन्हें आगे आवेदक कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की है जिसमें चीन जन.गण (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से विट्रीफाइड/प्रोक्लीन टाइलों (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क लगाने और उसकी जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

2. और यतः प्राधिकारी पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं और प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन

की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

घरेलू उद्योग और उसका आधार

3. विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों की ओर से गुजरात ग्रेनिटो मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन तथा साबरकंठा डिस्ट्रिक्ट सेरेमिक एसोसिएशन ने एक आवेदन प्रस्तुत किया है। 24 प्रयोक्ता उत्पादकों नामतः रिकेसिल सेरेमिक इंडस्ट्रीज प्रा० लि०, कोमेट ग्रेन्टो प्रा० लि०, सेनग्रेस टाइल्स लि०, सनराजइ सेरेमिक कं० लि०, स्लिम्स सेरेमिक प्रा० लि०, विन्टल सेरेमिक प्रा० लि०, सिम्पोलो विट्रीफाइड प्रा० लि०, जियल टॉप ग्रेन्टो प्रा० लि०, टोक्को सेरेमिक प्रा० लि०, सिटी टाइल्स, सनफोर्ड विट्रीफाइड प्रा० लि०, रेड स्टोन ग्रेन्टो लि०, लेक्स ग्रेन्टो प्रा० लि०, सिल्क टच विट्रीफाइडेड प्रा० लि०, क्यूटोन ग्रेन्टो प्रा० लि०, सिमोलैक्स विट्रीफाइड प्रा० लि०, ओल्विन टाइल्स प्रा० लि०, कोरल ग्रेन्टो प्रा० लि०, डूराकोन विट्रीफाइड प्रा० लि०, वरमोरा ग्रेन्टो प्रा० लि०, मेट्रो सिटी टाइल्स प्रा० लि०, एफिल विट्रीफाइड प्रा० लि०, सेन्टोसा ग्रेन्टो प्रा० लि०, तथा कासा आइल्स प्रा० लि० की ओर से मौजूदा जांच से संबंधित सूचना प्रस्तुत कर दी गई है।

संबद्ध वस्तुओं के 13 अन्य घरेलू उत्पादकों नामतः क्लेरिस सेरेमिक प्रा० लि०, रामोजी ग्रेनाइट लिमिटेड, लकॉन ग्रेन्टो प्रा० लि०, लोरेन्जो विट्रीफाइड प्रा० लि०, न्यू पेराई विट्रीफाइड प्रा० लि०, एलाइन्स विट्रीफाइड प्रा० लि०, फेमस विट्रीफाइड प्रा० लि०, ब्लूअर्ट ग्रेन्टो प्रा० लि०, सन वर्ल्ड विट्रीफाइड प्रा० लि०, सेन्सो, सियाराम विट्रीफाइड प्रा० लि०, सेवियो सेरेमिक प्रा० लि० तथा शुभ टाइल्स प्रा० लि० द्वारा इस आवेदन पत्र का समर्थन किया गया है।

4. रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार कुछ घरेलू उत्पादकों नामतः कजारिया सिरेमिक्स लि०, एच एंड आर जॉनसन (भारत), सोमानी सिरेमिक्स लि०, एशियन ग्रनिटा इंडिया लिमिटेड, सिलिका सिरेमिका प्रा० लि०, कमांडर विट्रीफाइड प्रा० लि०, विटेज टाइल्स प्रा० लि०, कोसा सिरेमिक प्रा० लि०, एसर ग्रेनिटो प्रा० लि०, जैक्स विट्रीफाइड प्रा० लि०, एंटिक मार्गोनाइट प्रा० लि०, ओरेकल रेक सिरेमिक्स प्रा० लि०, न्यू वर्धमान विट्रीफाइड प्रा० लि० पर विचार किया गया है क्योंकि अपात्र घरेलू उत्पादकों ने उनके द्वारा और संबद्ध वस्तुओं के आयातकों/निर्यातकों के साथ उनके संबंध के कारण उन्हें अयोग्य माना गया है। आवेदक उद्योगों के

उत्पादन के साथ पात्र सहायक उद्योगों का उत्पादन घरेलू उत्पादन का “प्रमुख हिस्सा” बनता है। इसलिए प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि ये आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अधिकार क्षेत्र के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं और यह आवेदन पत्र उपरोक्त नियमावली के नियम 5(3) में निहित मानदंड को संतुष्ट करता है।

विचाराधीन उत्पाद

5. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद, चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “3 प्रतिशत से कम जल खपाने की क्षमता युक्त पॉलिस्ड अथवा अनपॉलिस्ड तैयार ग्लेज्ड/अनग्लेज्ड पोर्सिलीन/विट्रीफाइड टाइल्स” के आयातों से संबंधित है। ये टाइलें भवनों, घरों, रेस्टोरेंटों, सिनेमाघरों, एयरपोर्ट, स्विमिंग पूल्स रेलवे स्टेशनों आदि में लगाई जाती हैं। विट्रीफाइड/प्रोपीलीन टाइलें सिरेमिक टाइलों की किस्म की होती हैं लेकिन इनका निर्माण कुछ भिन्न तत्वों से किया जाता है। इन टाइलों का निर्माण विट्रीफिकेशन प्रक्रिया के बाद किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद मुख्यतः दो आकारों नामतः (i) 600मिमी.x600 मिमी.(ii) 800मिमी.x800मिमी. में निर्मित और बेचे जाते हैं। मुख्यतः इन दो आकारों में ही इनके आयात किए जाते हैं।

6. संबद्ध वस्तुओं को अध्याय-69 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सीटीए के अंतर्गत पड़ने वाले इस मामले में विचाराधीन उत्पाद का कार्यक्षेत्र 69.07, 69.08 तथा 69.14 के अंतर्गत आता है। शीर्ष 69.14 नामक अध्याय के अंतर्गत आयात की जा रही ग्लेज्ड प्रोक्लीन टाइलों को शीर्ष 69.07 नामक अध्याय में उल्लिखित अनग्लेज्ड टाइलों से प्रतिस्थापित किया जाता है जोकि उसकी गुण क्षमताओं, उपयोग कार्यों, वितरण, माध्यमों आदि के आधार पर होता है। सीमा शुल्क का वर्गीकरण सूचक मात्र है और यह किसी भी तरीके से उत्पाद के कार्यक्षेत्र को बाधित नहीं करता है।

समान वस्तु

7. आवेदकों ने यह दावा किया है कि संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित की जा रही ऐसी वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। आवेदकों द्वारा दिए गए तर्कों के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं जैसे कि भौतिक और रासायनिक विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रयोगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के अनुरूप तुलनीय है। उपभोक्ता

दोनों पारस्परिक परिवर्तनीय किस्मों का उपयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। आवेदकों ने आगे यह भी दावा किया है कि ये दोनों किस्में तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। इसलिए मौजूदा जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी भारत में आवेदकों द्वारा निर्मित की जा रही संबद्ध वस्तुओं को, संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं को “समान वस्तु” ही मानते हैं।

शामिल देश

8. वर्तमान जांच चीन जन.गण. (जिसे आगे “संबद्ध देश” कहा गया है) से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के संबंध में है।

सामान्य मूल्य

9. आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जन.गण.को गैर बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदकों ने भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का दावा किया है जिसे विधिवत संमंजित किया गया है। नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं। उपरोक्त गैर बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा और चीन जन.गण. से प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा उसका खंडन किए जाने को ध्यान में रखते हुए नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य का अनुमान लगाया गया है।

निर्यात कीमत

10. आवेदकों ने निवेदन किया है कि डीजीसीआईएंड एस के आंकड़ों में सूचित की गई कीमतें विचाराधीन उत्पाद की वास्तविक आयात कीमत को निर्दिष्ट नहीं करती हैं। डीजीसीआईएंड एस द्वारा सूचित कीमतों और किए गए वास्तविक आयातों की कीमतों के बीच पर्याप्त अंतर विद्यमान है। आवेदकों ने निवेदन किया है कि सीमाशुल्क के प्राधिकारियों ने संबद्ध वस्तुओं की न्यूनतम आयात कीमत निर्धारित की है और इसलिए

आयातों के प्राप्त करने वाले मूल्य डीजीसीआई एंड एस में सूचित ऐसी कीमत का परिचायक है जिस पर सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने आयातों का मूल्यांकन किया है। इसलिए उन्होंने दावा किया है कि जिस कीमत पर वस्तुएं आयात की जाती हैं और जिस कीमत पर वस्तुएं क्लीरियेंस के लिए आकलित की जाती हैं, इन दोनों के आंकड़े मौजूदा मामले में भिन्न हैं। इसलिए आवेदकों ने कुछ ऐसे प्रमुख घरेलू उत्पादकों द्वारा किए गए आयातों के आधार पर आयात कीमत पर विचार किया है, जोकि निर्यात कीमत का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ संबद्ध वस्तुओं के प्रमुख आयातक भी हैं। प्राधिकारी ने इस जांच को शुरू करने के प्रयोजन से आवेदकों के इस तर्क को प्रथमदृष्टया स्वीकार कर लिया है बशर्ते कि उपयुक्त समय पर इसकी आगे जांच की जा सके। कीमत के समायोजन का दावा समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा, बैंक प्रभारों और वीएटी समायोजन के आधार पर किया गया है ताकि निवल निर्यात कीमत आकलित की जा सके।

पाटन मार्जिन

11. सामान्य मूल्य की तुलना कारखानागत स्तर की निर्यात कीमत से की गई है। प्रथम दृष्टया ऐसे पर्याप्त प्रमाण हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य कारखानागत निर्यात कीमत से अधिक है जिससे यह पता चलता है कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुएं पाटित की जा रही हैं। इनका पाटन मार्जिन न्यूनतम से भी अधिक होने का अनुमान है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

12. घरेलू उद्योग को हुई क्षति का मूल्यांकन करने के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर विचार किया गया है। जाँच अवधि के दौरान पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा, कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, और उसका उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग, लाभ, नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ और जांच अवधि के भीतर नकदी प्रवाह में गिरावट आने से पड़ने वाले परिणामी अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में आवेदकों ने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। पाटनरोधी जांच शुरू करने को यथोचित ठहराने के लिए संबद्ध देश से पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हो रही क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया प्रमाण हैं।

13. आवेदकों ने दावा किया है कि ब्राजील द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने और ब्राजील में आयात में गिरावट होने से अक्टूबर, 2014 से मार्च, 2015 की अवधि में संबद्ध देश से आयात में वृद्धि हुई है। आवेदकों ने निवेदन किया है कि ब्राजील द्वारा संबद्ध देश पर लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, इतनी अल्पावधि में

आयात में अत्यधिक वृद्धि, आयात कीमत में गिरावट आई है, संबद्ध देश में निर्यातकों के पास अत्यधिक बेसी क्षमता उपलब्ध है तथा संबद्ध देश में मांग कमजोर होना ऐसे आधार हैं जिनसे संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति का खतरा उत्पन्न हो गया है।

जांच की अवधि (पीओआई)

14. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2014 से 30 मार्च, 2012 (12 माह) तक की है। क्षति विश्लेषण अवधि में अप्रैल 2011- मार्च 2012, अप्रैल 2012- मार्च 2013, अप्रैल 2013- मार्च 2014 और जांच की अवधि शामिल होगी।

शुल्कों का पूर्वव्यापी प्रभाव

15. आवेदकों ने शुल्कों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने का अनुरोध किया है क्योंकि संबद्ध उत्पादों के काफी समय से व्यापक पाटन होने से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि ऐसे आयातों की अत्यधिक मात्रा और घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति की चुनौती को ध्यान में रखते हुए यदि ऐसे शुल्क को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने की सिफारिश नहीं की जाती है तो पाटनरोधी शुल्कों के वांछित उपचारात्मक उपायों के सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। इस संबंध में हितबद्ध पक्षकार अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं।

सूचना प्रस्तुत करना

16. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग

चौथा तल ,जीवन तारा बिल्डिंग ,5, संसद मार्ग,

नई दिल्ली- 110001

17. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

समय सीमा

18. मौजूदा जांच से संबंधित कोई भी सूचना और ऐसी सुनवाई करने का अनुरोध लिखित में प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि वह प्राधिकारी के उपरोक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों से अनधिक (चालीस दिन) तक पहुंच जाए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त हुई सूचना अपूर्ण होती है तो ऐसी स्थिति में प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष रिकॉर्ड कर सकते हैं।

19. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा यह परामर्श दिया जात है कि वे मौजूदा मामले में अपने हित के बारे में (हित की प्रकृति सहित) सूचित करें और पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की आवश्यकता अथवा अन्यथा उसको समाप्त करने के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां/सूचना, जांच शुरू होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर दें।

अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

20. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अभ्यावेदन के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग सेटों में प्रस्तुत किया जाएगा (क) गोपनीय के रूप में अंकित एक सेट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) और (ख) अगोपनीय के रूप में अंकित एक सेट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि)। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

21. गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की पांच (5) प्रतियां प्रस्तुत की जाएंगी।

22. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है या ऐसी सूचना का सार संक्षेपण क्यों संभव नहीं है।

23. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहने हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में यदि गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित करते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है तो, प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

24. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

25. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। संतुष्ट होने और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत को स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार पर उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

26. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

27.यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास “उपलब्ध तथ्यों” के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

(ए.के.भट्टा)

निर्दिष्ट प्राधिकारी